



प्रेषक :-

अधीक्षण अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत नगरीय वितरण मंडल-द्वितीय,
नौएडा ।

विज्ञापन आदेश

सेवा में,

पत्र सं० : 456 / वि०न०वि०मं०-द्वि० / नौएडा / दिनांक : 26/04/23

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक जागरण
नई दिल्ली

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला
नई दिल्ली

विषय : विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27.04.2023 तक के अंक में कम से कम स्थान में हिन्दी समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट में तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट में रनिंग मैटर में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग के नीचे के नाम व पता यथा सम्भव एक लाइन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें। विज्ञापन में शीर्ष पर निगम का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक भी सबसे छोटे पठनीय टाइप में अवश्य प्रकाशित करें।

- वर्गीकृत विज्ञापन दो कॉलम में (चौड़ाई 8 से०मी०) अथवा निविदा शुद्धिकरण/वैधानिक सूचनाओं को 1 कॉलम (चौड़ाई 4 से०मी०) में प्रकाशित करें निगम का नाम "पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०" 14 फ्रॉन्ट साईज B/W पट्टी तथा बोल्ड शब्दों (चौड़ाई 1 से०मी०) में प्रकाशित करें।
- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियों अलग-अलग संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान संभव न होगा।
- संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री हिन्दी समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिये संलग्न अंग्रेजी भाषा पत्र की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा संबंधित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
- टेन्डर/सूचना इत्यादि उपरोक्त निर्धारित तिथि के बाद निगम की पूर्वानुमति के बिना कदापि प्रकाशित न करें।
- यदि आपकी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन डी०ए०वी०पी० निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकार न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अंत में सबसे छोटे टाइप में "विद्युत हैल्पलाईन 1800-180-3002(मेरठ), 1800-180-8752 (लखनऊ)" तथा "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" का नारा अवश्य प्रकाशित करें।
- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका अथवा निरस्त किया जा सकता है।
- G.S.T as applicable.

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

अधीक्षण अभियन्ता,
अधीक्षण अभियन्ता,

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय,
सेक्टर-18, नौएडा

पत्रांक : / वि०न०वि०मं०-द्वि० / नौ० / दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- मुख्य अभियन्ता, नौएडा क्षेत्र, प०वि०वि०नि०लि०, नौएडा ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य) पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया संलग्न निविदा सूचना को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ की वेबसाइट पर डलवाने की कृपा करें
- सहायक जनसंपर्क अधिकारी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, विक्टोरिया पार्क, मेरठ ।
- नोटिस बोर्ड ।

संलग्नक : यथोपरि ।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
अल्पकालीन ई-निविदा तिथि संशोधन सूचना

एतद्द्वारा मण्डल कार्यालय द्वारा आमंत्रित की गई अल्पकालीन ई-निविदा संख्या 21/2023-24, 22/2023-24 एवं 23/2023-24 में टंकण त्रुटिवश खुलने की दिनांक 15.05.2023 समय 11:00 बजे तक अंकित हो गई है। उक्त अल्पकालीन निविदाएं दिनांक 09.05.2023 समय 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रथम भाग उसी दिन दिनांक 09.05.2023 समय 14:00 बजे खोला जायेगा। निविदा से सम्बंधित समस्त व पूर्ण विवरण तथा संशोधन/निविदा विस्तार की जानकारी वेबसाइट www.pvvn1.org तथा www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, नौएडा।


अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय,
सैक्टर-18, नौएडा